न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
पप्पूराम .... बनाम .... अब्दुल रहमान मु.नं.– 08/23 किस्म – T.A	
पूर्वानुसार दिनांक 22.7.25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) 22/7/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित रहे। प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाकर पत्रावली में दिनांक 14.2.2023 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रचलन को समाप्त किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली कौसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर। मूल वाद के साथ नत्थी हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
08/2023	14.02.2023	22.07.2026

बउनवान

1. पप्पूराम पुत्र जयलाल, निवासी महुखुर्द, तहसील बैजूपाडा, दौसा।

..प्रार्थी

बनाम

1. अब्दुलरहमान पुत्र गफूरखॉ, निवासी महुखुर्द, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
2. शिवचरण पुत्र जयलाल, निवासी महुखुर्द, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
3. हरिनारायण पुत्र ख्यालीराम, निवासी महुखुर्द, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
4. रामहरी पुत्र ख्यालीराम, निवासी महुखुर्द, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
5. हरलाल पुत्र पूरण, निवासी महुखुर्द, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
6. बनवारी पुत्र पूरण, निवासी महुखुर्द, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
7. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार बैजूपाडा, दौसा।
8. उप–पंजीयक बैजूपाडा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री लीलाराम मीना।
2. अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 व 3 – श्री धर्मसिंह राजपूत।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत
धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी की भूमि विवादित आराजी खेवट खतौनी सं. नई 76 पुरानी 31 के खसरा सं. 26 रकबा 0.08 हैक्टे. वाके ग्राम महुखुर्द, पटवार हल्का महुखुर्द, तहसील बैजूपाडा में स्थित है। विवादित आराजी में प्रार्थी का 2/5 हिस्सा खातेदारी चला आ रहा है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 01 लगायत 02 विवादित आराजी के सहखातेदार है। विवादित आराजी में प्रार्थी का 2/5, अप्रार्थी सं. 01 का 1/5 व अप्रार्थी सं. 2 का 2/5 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड खातेदारी चला आ रहा है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण बुजुर्गान के समय से ही उपरोक्त दर्ज हिस्से अनुसार भूमि को आपसी मन समाई से बांट कर अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है। अप्रार्थी सं. 03 लगायत 06 का विवादित आराजी से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध सरोकार नही है। विवादित आराजी का अभी तक विधिवत तकास्मा नहीं हुआ है, इस कारण पक्षकारान में भूमि के कम ज्यादा को लेकर आपसी विवाद होता रहता है एंव प्रार्थी एंव अप्रार्थी सं. 1 लगायत 02 राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली कृषक सहायता भी प्राप्त नही कर पाते है। इसलिये विवादित आराजी का विधिवत तकास्मा किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। विवादित आराजी का

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

बिना विधिवत बंटवारा के ही विवादित आराजी में अप्रार्थी सं. 01, अप्रार्थी सं. 03 लगायत 06 से साज कर जबरन प्रार्थी की कब्जे काश्त की भूमि पर पुख्ता निर्माण कर दीगर शख्सों को रहन बय करने पर आमादा हो रहे है। उक्त भूमि में आने जाने के लिये प्रार्थी की दीगर भूमि में आने जाने का रास्ता बुजुर्गान के समय से चला आ रहा है जिसको प्रार्थी अपने उपयोग–उपभोग में लेते चले आ रहे है। अप्रार्थी सं. 01 व 03 लगायत 06 प्रार्थी के उपयोग–उपभोग के उक्त रास्ते को भूमि को बिना किसी अधिकार विक्रय कर अवरूद्ध करने पर आमादा हो रहे हैं। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये अप्रार्थी सं. 01 ने दिनांक 05.01.2022 को निर्माण सामग्री मौके पर डाल दी तथा नींव खुदाई करने पर आमादा हो रहे हैं। प्रार्थी द्वारा पक्का निर्माण कार्य करने से पूर्व विधिवत तकास्मा कराने की बात की तो अप्रार्थीगण ने साफ इन्कार कर दिया। ऐसी सूरत में प्रार्थी को वाद तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है। अप्रार्थी सं. 01 व 03 लगायत 06 संख्या में ज्यादा है तथा झगडालू किस्म के धनबल व बाहुबल वाले लोग है जो येन केन प्रकारेण जबरन लाठी के जोर से प्रार्थी को नुकसान पहुँचाना चाहते है व प्रार्थी की कब्जे व खातेदारी की भूमि को हडपना चाहते है। अगर अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी तथा पक्षकारान के मध्य दीगर दीवानी व फौजदारी मुकदमें चल पड़ेगे तथा प्रार्थी को अपने जायज हक हकूक व हिस्से की भूमि से वंचित होना पड़ेगा जिसकी पूर्ति किसी भी कदर नहीं हो पायेगी। इसलिये अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाकर विवादित आराजी में प्रार्थी के हिस्से में किसी प्रकार के उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न करने व भूमि मुतदाविया का विधिवत तकास्मा हुये बिना निर्माण कार्य करने से व रहन बय अथवा अन्य प्रकार से अन्तरित करने से व प्रार्थी के जायज हक हकूकों में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी करने से पाबन्द फरमाया जावे। विवादित आराजी की किस्म गै.मु. चाह है जिसमें वर्तमान में बोरिंग लगी हुई है व उक्त बोरिंग को उपयोग उपभोग मे पक्षकारान लेते चले आ रहे है जिसका किसी भी सहखातेदार को भूमि की किस्म को परिवर्तन कर अवैध रूप से पुख्ता निर्माण करने का काननून कोई अधिकार हासिल नही है किन्तु अप्रार्थी सं. 01 व अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 06 से मिलकर जबरन अवैध रूप से विधि विरूद्ध तरीके से पुख्ता निर्माण करने व रहन बय करने पर आमादा हो रहे है जिसका उनको कोई अधिकार नही है। प्राईमा फैसाई केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्वान्त बमुकाबले अप्रार्थीगण, प्रार्थी के पक्ष में बखूबी प्रमाणित है। प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थीगण को इस अमर से प्रतिबन्धित फरमाया जावे कि अप्रार्थीगण विवादित आराजी में प्रार्थी का 2/5 दर्ज रिकार्ड खातेदारी के हिस्से को बिना तकास्मा कराये जर्ये रहन, बय बकसीस या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करने से व स्वयं या अपने परिवारजन व गिरोह के जरिये वादग्रस्त भूमि के किसी भी भाग पर पुख्ता या खाम निर्माण करने से व प्रार्थी को उनके हिस्से खातेदारी की भूमि से बलपूर्वक बेदखल कर स्वंय का नाजाईज कब्जा करने से दीगरान का आधिपत्य करवाने से बाज व मुमतना रहे व अप्रार्थी सं. 07 व 08 मौका व राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखने के लिये प्रतिबन्धित रहें।

प्रार्थी अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुतिकरण के समय अप्रार्थीगण के विरुद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के लिए बहस का निवेदन किया। प्रार्थी अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया

उपखण्ड अधिकारी
मंण्डावर (दौसा)

जाकर अप्रार्थी सं. 1 एवं 2 के विरुद्ध दिनांक 14.02.2023 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी कि अप्रार्थी सं. 1 एवं 2 ग्राम महुखुर्द तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में स्थित विवादित आराजी खसरा सं. 26 के राजस्व रिकॉर्ड तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे। प्रार्थी के हिस्से की भूमि में किसी भी प्रकार का जबरन कब्जा करने की कोशिश या किसी भी प्रकार खाम या पुख्ता निर्माण ना तो स्वयं या ना ही अपने नौकरों, घरवालों या अन्य मददगारान से करावें और ना ही रहन बय करे

3. अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस की तामील के बावजूद, अप्रार्थी सं. 2 एवं 4 लगायत 8 ने न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया, इसलिए इनके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए इनके जवाब का अवसर बंद कर दिया गया।

4. अप्रार्थी सं. 1 व 3 ने अपने जबाव में प्रार्थना पत्र के अधिकांश तथ्यों को अस्वीकार कर कर कथन किया कि अप्रार्थी सं. 1 उक्त भूमि का खातेदार है, प्रार्थी का उक्त भूमि से कोई सरोकार व वास्ता नहीं है। अप्रार्थी सं. 1 उक्त जमीन को खरीदकर अपने हिस्से पर काबिज है तथा अप्रार्थी सं. 1 की सहमति से अप्रार्थी सं. 3 हरिनारायण ने अपने मकान को गुनिया करने के लिये कुछ फुट जमीन को लेकर पुख्ता मकान का निर्माण किया है जो पूर्ण मकान तैयार हो चुका है। अप्रार्थी सं. 1 को अपने हिस्से व कब्जे के आधार पर तकास्मा करने के आदेश प्रदान करें जिसका अप्रार्थी सं. 1 अधिकारी है। प्रार्थी बिना वजह अप्रार्थी सं. 3 के मकान में दखलन्दाजी करने हेतु बिना कोई हक व अधिकार के स्टे जारी करवाना चाहता है जिसका उसको कोई अधिकार नहीं है। उक्त जमीन का सीमाज्ञान हो चुका है। सीमाज्ञान के आधार पर उक्त हिस्सा अप्रार्थी सं. 1 के हिस्से में आया है। प्रार्थी ने विपक्षी को महज हैरान व परेशान करने के लिये यह दावा व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया है जबकि प्रार्थी का उक्त जमीन से कोई सरोकार नहीं है। अप्रार्थी सं. 3 ने अप्रार्थी सं. 1 की सहमति से अपने मकान को गुनिया कर निर्माण कराया है।

5. प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक उभय पक्ष ने प्रार्थना पत्र एवं जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

6. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र तकास्मा तथा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के अनुसार, विवादित आराजी के प्रार्थी तथा अप्रार्थी सं. 1 लगायत 2 दर्ज रिकॉर्ड खातेदार है। विवादित आराजी की किस्म गै. मु. चाह है अर्थात विवादित भूमि कुएं की भूमि है। कुएं की भूमि अविभाजित होती है, कुएं की भूमि का विभाजन नहीं किया जाता है। प्रार्थी वाद पत्र के जरिये कुएं की भूमि का विभाजन करवाना चाहता है जो कि संभव नहीं है। इसलिये इस प्रार्थना पत्र में प्रथम दृष्टया मामला तथा सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं पाये जाते हैं। विवादित आराजी अविभाजित भूमि है जिसमें प्रत्येक इंच भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का समान हिस्सा होता है। सहखातेदार अप्रार्थी सं. 1 तथा 2 के विरुद्ध व्यादेश जारी किये जाने से अप्रार्थी सं. 1 तथा 2 को अपूरणीय क्षति होगी। इसलिये इस प्रार्थना पत्र में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में नहीं पाये जाते हैं। इसलिये अप्रार्थी संख्या 1 तथा 2 के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा को जारी रखा जाना उचित नहीं है।

आदेश

7. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाकर ग्राम महुखुर्द, पटवार हल्का महुखुर्द, तहसील बैजूपाडा में स्थित विवादित आराजी खसरा 26 रकबा 0.08 हैक्टे. के सम्बन्ध में, अप्रार्थी सं. 1 तथा 2 के विरुद्ध इस न्यायालय द्वारा दिनांक 14.02.2023 को जारी की गई अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रचलन को समाप्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

8. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 22.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)